संoसंo— 5 बजट (1) 20/2022 (Part) ......58 स्था(वि०)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः— **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची / दिनांक 15-03-2024

विषय— **वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य योजनान्तर्गत ''तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार'' योजना के तहत् विभिन्न निर्माण कार्यों के निमित्त द्वितीय चरण में कुल मो0 235.1267/—लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार छः सौ सत्तर) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 218.9338 लाख (दो करोड़ अठारह लाख तिरानबे हजार तीन सौ अस्सी) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य योजनान्तर्गत ''तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार'' योजना के तहत् विभिन्न निर्माण कार्यों के निमित्त द्वितीय चरण में कुल मो0 235.1267/—लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार छः सौ सत्तर) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 218.9338 लाख (दो करोड़ अठारह लाख तिरानबे हजार तीन सौ अस्सी) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (i) प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के तहत् निम्नरुप से है —

क्रम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	स्थापना / जिला
(क)	लघु शीर्ष—101—अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	कोडरमा जिला अन्तर्गत राजा आहर स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र के नर्सरी नं0 01 में बोल्डर पिचींग एवं परिसर में विद्युत व्यवस्था (LED Street Light) कार्य	17,55,426/—	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 22.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	कोडरमा
2	कोडरमा जिला अन्तर्गत राजा आहर स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र के नर्सरी नं0 02 एवं 03 के आसपास (around) में बोल्डर पिचींग कार्य	23,02,600/—	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 22.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	
3	कोडरमा जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय के दक्षिण में चाहरदीवारी निर्माण, चाहरदीवारी के उपर कन्सरटीना कॉयल फेंसिंग, सेप्टिक टेंक का निर्माण, कार्यालय भवन का रुफ ट्रीटमेंट, गैरेज के छत पर वेटिंग एरिया शेड निर्माण कार्य	17,93,050/—	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 29.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	
4	कोडरमा जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय के नर्सरी नं0 04 के आसपास (around) में बोल्डर पिचींग कार्य	11,33,250/—	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 29.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	

5	हजारीबाग जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय एवं झील मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में 12 मीटर के तीन हाईमास्ट लाईट का कार्य	16,63,554/–	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची द्वारा दिनांक 24.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	हजारीबाग
6	धनबाद जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय में मीटिंग हॉल निर्माण कार्य	11,79,800/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा दिनांक 22.11.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	धनबाद
	उप योगः	**98,27,680/–**		
(ख)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**			
1	खूंटी जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय के Administrative Building के प्रथम तल का निर्माण कार्य	28,63,600/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 20.10.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	खूंटी
2	खूंटी जिला अन्तर्गत मुरहू स्थित हाँसा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का घेराबन्दी कार्य	6,76,718/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, खूंटी द्वारा दिनांक 11.01.2024 को तकनीकी स्वीकृति।	
3	राँची जिला अन्तर्गत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के परिसर के पूर्व दिशा में चाहरदीवारी निर्माण कार्य	40,78,600/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 15.12.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
4	जामताड़ा जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय परिसर, जामताड़ा में S/R to E.I. in District fishery office new & old building and provision of security light surroundings the fishery pond and S.I.T.C of 16 Mtr. Long high mast light कार्य	31,80,880/–	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 15.12.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	जामताड़ा
5	दुमका जिला अन्तर्गत जिला मत्स्य कार्यालय, खूंटाबाँध एवं बड़ा बाँध मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पर S/R to E.I. in District fishery office, Khuntabandh and Bara Bandh Fishery Seed sector centre & provision of security light surroundings the fishery Pond Bara Bandh and Khuntabandh कार्य	28,85,192/–	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 30.01.2024 को तकनीकी स्वीकृति।	दुमका
	उप योगः	**1,36,84,990/–**		
	कुल योगः	**2,35,12,670/–**		

उपरोक्त सारणी के कम 'ख (5)' में दुमका जिला में अंकित कार्य की प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 28,85,192/–रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 12,65,902/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 16,19,290/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए नियमानुसार शेष राशि के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

माँग सं0—53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष—4405—मछली—पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 32 रा0 (वि0) दिनांक 03.01. 2024 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष—101—अन्तर्देशीय मछली पालन—उप शीर्ष—72— तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना—विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य **53S44050010172010545**	225.00	98.62249	98.2768	28.10071
2	लघु शीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उप शीर्ष—72— तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना—विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य **53S44050079672010545**	250.00	129.343	120.657	0.00
	कुल योग :	**475.00**	**227.96549**	**218.9338**	**28.10071**

मो0 218.9338 लाख (दो करोड़ अठारह लाख तिरानबे हजार तीन सौ अस्सी) रू0 मात्र।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही उपरोक्त अंकित कंडिका '2' के लिए राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही किया जायेगा।

5. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/धनबाद/दुमका तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा/खूंटी/जामताड़ा एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका '2' के कम सं0—(क)—1 तथा कम सं0—(ख)—4 एवं 5 को छोड़कर शेष के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका '2' के कम सं0—(क)—1 तथा कम सं0—(ख)—4 एवं 5 में उल्लेखित कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची {कम सं0—(क)—1 के लिए} तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, धनबाद को {कम सं0—(ख)—4 एवं 5 के लिए} पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक—2561 दिनांक 17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक—1800/वि0 दिनांक 15.07.2003 एवं पत्रांक—533/वि0 दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. निर्माण/विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण/विद्युत कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/विद्युत कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

10. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।

13. .स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवं सी0एस0–01/आर0–04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

15. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 4000.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3730.00 लाख रु0 – मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो0 3265.25841 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 584 ……/रॉंची, दिनांक 15-03-2024

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 58 रा॰(वि)/ रॉची, दिनांक 15.03.2024

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल/योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव